# महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत गठित त्रि–सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति हेतु निर्मित पैनल पर प्राप्त दावा–आपत्ति के निराकरण हेतु राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक दिनांक–07.03.2018 का कार्यवाही विवरण

*(स्थानः कक्ष क्रमांक–S3-23, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़), समय दोपहर 12:00 बजे)*

---

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग/मंत्रालय, द्वारा जारी ''लोकपाल निर्देशिका'' में दिये गये निर्देश के परिपालन में, राज्य स्तर पर गठित त्रि–सदस्यीय ''लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण'' के सदस्यों की नियुक्ति हेतु, समिति द्वारा दिनांक–18/09/2017 को निर्मित पैनल पर प्राप्त दावा–आपत्ति के निराकरण दंतेवाड़ा एवं दुर्ग जिले के लोकपालों को पूर्व में दी गई 01 वर्ष की द्वितीय सेवावृद्धि का अनुमोदन तथा जिला : जांजगीर–चांपा, जिला–जशपुर एवं जिला धमतरी के लोकपालों को 01 वर्ष की द्वितीय सेवावृद्धि दिये जाने के संबंध में विचार हेतु, राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक श्री आर.पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पं.ग्रा.वि.वि. की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) में सम्पन्न हुई।

बैठक में चयन समिति के सदस्य संयोजक श्री पी.सी. मिश्रा, (सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) एवं भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि श्री एस.एन मिश्रा, (अवर सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग) तथा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु Civil Society Organisation क्षेत्र से, भारत सरकार द्वारा नामांकित प्रतिनिधि श्रीमती इन्दिरा हिरवे बैठक में उपस्थित रहीं।

<u>एजेण्डावार चर्चा एवं निर्णय, निम्नानुसार है :–</u>

(1) दिनांक–18.09.2017 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों एवं की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका समिति द्वारा अवलोकन किया गया।

(2) लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Authority) के सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु श्री प्रेमलाल सिन्हा एवं श्री कृष्णा प्रसाद सिन्हा ने पूर्व में आवेदन किया था। राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिनांक–18/09/2017 को आयोजित बैठक में नियुक्ति योग्य अभ्यर्थियों का अनुभव क्षेत्रवार, मेरिट के आधार पर निर्मित पैनल के विरूद्ध श्री प्रेमलाल सिन्हा एवं श्री कृष्णा प्रसाद सिन्हा ने अपना आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया है। दोनों के आपत्ति आवेदनों का अवलोकन समिति द्वारा किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(अ) <u>श्री प्रेमलाल सिन्हा</u>

श्री प्रेमलाल सिन्हा ने 02 क्षेत्रों क्रमशः सिविल सोसायटी संगठन (CSO) क्षेत्र एवं अकादमिक क्षेत्र के अनुभव के आधार पर 02 आवेदन प्रस्तुत किया था। श्री सिन्हा पूर्व में (वर्ष 2012 से 2014) रायपुर जिले के लोकपाल रह चुके हैं। तत्समय श्री सिन्हा का चयन CSO क्षेत्र के अनुभव के आधार पर हुआ था। अतः समिति ने श्री सिन्हा के CSO क्षेत्र के अनुभव को ही सही माना, यद्यपि श्री सिन्हा ने अकादमिक क्षेत्र के अनुभव के आधार पर भी आवेदन किया है। श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री सिन्हा ने जिस अवधि में CSO का अनुभव बताया है, वही अवधि अकादमिक क्षेत्र के अनुभव का भी है, क्योंकि श्री सिन्हा ने जिस CSO से संबंधित होने का अनुभव बताया है, उसी CSO द्वारा संचालित शाला में उन्होनें अध्यापन कार्य का अनुभव बताकर अकादमिक अनुभव से संबंधित आवेदन पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है।

क्रमशः....

भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग/मंत्रालय द्वारा जारी Revised Guidelines for appointment of Ombudspersons के निर्देश क्रमांक–13.4.2 के परिपेक्ष्य में श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं मूल आवेदन का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। श्री सिन्हा का जिला–रायपुर में लोकपाल पद का कार्यकाल संतोषजनक नहीं होने की वजह से दिनांक–28/01/2015 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय लोकपाल चयन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक–3 में श्री सिन्हा को रायपुर जिले लोकपाल पद पर 01 वर्ष की सेवावृद्धि नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया था। चूंकि श्री सिन्हा जिले के लोकपाल पद पर सेवावृद्धि हेतु पात्र नहीं पाये गये थे अतः लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति किये जाने हेतु उनके नाम पर विचार किया जाना समिति ने उचित नहीं माना। अतः श्री सिन्हा के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को विचार योग्य न मानते हुये उनके मूल आवेदनों पर विचार न करते हुये उनकी आपत्ति को नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(ब) <u>श्री कृष्णा प्रसाद सिन्हा</u>

श्री कृष्णा प्रसाद सिन्हा ने सिविल सोसायटी संगठन (CSO) क्षेत्र के अनुभव के आधार पर अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य पद हेतु आवेदन किया है। चूंकि दिनांक–18/09/2017 को आयोजित बैठक में समिति ने अपीलीय प्राधिकरण के CSO क्षेत्र से कार्यरत् पूर्व सदस्य श्री अशोक शर्मा को 01 वर्ष की सेवावृद्धि देने का निर्णय लिया था एवं इस पद हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों को नहीं खोला गया। अतः श्री सिन्हा के आवेदन पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया गया एवं प्रस्तुत आपत्ति को नस्तीबद्ध किये जाने हेतु, समिति द्वारा अनुशंसा की गई।

(3) राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा की प्रत्याशा में, समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करके, जिला–दंतेवाड़ा के लोकपाल (मनरेगा) श्री जीवनलाल देशलहरा तथा जिला–दुर्ग के लोकपाल (मनरेगा) श्री शफीउल्लाह खान को पूर्व में दी गई 01 वर्ष की द्वितीय सेवावृद्धि का अनुमोदन किया गया।

(4) कार्यप्रदर्शन एवं संबंधित जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नानुसार उल्लेखित 03 जिलों के लोकपाल (मनरेगा) का 01 वर्ष की द्वितीय सेवावृद्धि दिये जाने का निर्णय लिया गया।

| क्र. | जिला का नाम | लोकपाल का नाम | क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले |
|---|---|---|---|
| 1 | जांजगीर–चांपा | श्री दयाराम राठौर | जांजगीर–चांपा |
| 2 | जशपुर | श्री संतोष शर्मा | जशपुर |
| 3 | धमतरी | गंभीर चंद्राकर | धमतरी, गरियाबंद |

क्रमशः....

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक–18/09/2017 की बैठक में, अकादमिक क्षेत्र से, अपीलीय प्राधिकरण में सदस्य पर पर नियुक्ति हेतु, समिति द्वारा निर्मित पैनल में प्रथम प्राथमिकता क्रम में उल्लेखित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश जारी किया जावे।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

( प्रो. इंदिरा हिरवे)
निदेशक एवं
प्राध्यापक–अर्थशास्त्र,
सेन्टर फॉर डेवलपमेंट
अल्टरनेटिव्स, अहमदाबाद
एवं नामित सदस्य,
राज्यस्तरीय चयन
समिति

( एस.एन.मिश्रा)
अवर सचिव,
भारत सरकार,
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली एवं नामित
सदस्य, राज्यस्तरीय चयन
समिति

( पी. सी. मिश्रा )
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
पं.ग्रा.वि.विभाग
एवं सदस्य संयोजक,
राज्यस्तरीय चयन
समिति

( आर.पी. मण्डल )
अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
पं.ग्रा.वि.विभाग
एवं अध्यक्ष,
राज्यस्तरीय चयन
समिति